2010:CGHC:10436

**प्रकाशन के लिए अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर**

**रिट याचिका क्रमांक 2259/2001**

**याचिकाकर्ता** अशोक आर्य

**बनाम**

**उत्तरवादीगण** स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं अन्य

आदेश सुनाए जाने हेतु दिनांक 15 मार्च, 2010 को सूचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**सही/-**

**सतीश के. अग्निहोत्री**

**न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर**

**रिट याचिका क्रमांक 2259/2001**

**याचिकाकर्ता** अशोक आर्य

**बनाम**

**उत्तरवादीगण** स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं अन्य

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका)

एकलपीठ : माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

---

**उपस्थित** :- याचिकाकर्ता स्वयं।

डॉ. एन.के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री दिलीप दुबे, अधिवक्ता उत्तरवादीगण कि ओर से ।

---

**आदेश**

**(दिनांक 15 मार्च, 2010 को दिया गया)**

1. याचिकाकर्ता ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत इस याचिका द्वारा, दिनांक 17-1-2001 के आरोप-पत्र (अनुलग्नक - पी/2) एवं दिनांक 13-3-2001 के विभागीय जांच आदेश (अनुलग्नक - पी/7) को अभिखंडित करने हेतु रिट प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता ने दिनांक 30-6-2000 से ई-5 पद से ई-6 ग्रेड में सभी पारिणामिक लाभों और बकाया राशि के साथ पदोन्नति की मांग की है।

2. याचिका के लंबित रहने के दौरान, जांच पूर्ण हुई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 11-10-2008 को आदेश जारी होने की तिथि से, संचयी प्रभाव के साथ छह माह की अवधि के लिए वेतनमान रु. 18500-4%-23900 (ई5) के

स्केल में वेतनमान को रु. 23,900 + 2868 (एस.आई.) प्रतिमाह से घटाकर रु. 23,900+1912 (एस.आई.) प्रतिमाह कर दिया गया। साथ ही, ब्लॉक वर्ष 1996-97 और 1998-99 से एलटीसी/एलएलटीसी का झूठा दावा याचिकाकर्ता के वेतन से वसूल किया जाएगा। याचिकाकर्ता ने दिनांक 11-10-2008 के दंडादेश को भी अभिखंडित करने की मांग की है, जिसके लिए बाद में दिनांक 21-10-2008 को आई.ए. क्रमांक 6 के रूप में एक संशोधन आवेदन दायर किया गया, जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 9-2-2009 के आदेश के माध्यम से स्वीकार की गई थी। तत्पश्चात्, याचिकाकर्ता ने दिनांक 10-4-2009 को संशोधित याचिका दायर की, जिस पर उत्तरवादीगण ने कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. दिनांक 11-10-2008 के दंडादेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ता ने दिनांक 30-10-2008 को अपीलीय प्राधिकारी अर्थात् अध्यक्ष, सेल, इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की, जिसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 20-2-2009 के आदेश से निरस्त कर दिया गया, किंतु उसे इस याचिका में चुनौती नहीं दी गई है।

4. मामले के निराकरण हेतु, संक्षेप में तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता विगत दो दशकों से अधिक समय से उत्तरवादी कंपनी/भिलाई इस्पात संयंत्र (संक्षेप में "बी.एस.पी."), जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक इकाई है, में वरिष्ठ प्रबंधक (भंडार) के पद पर कार्यरत है। याचिकाकर्ता के अनुसार, उसके विरुद्ध दिनांक 4-6-1999 को बी.एस.पी. के सतर्कता विभाग में एक छद्मनामी शिकायत के आधार पर शिकायत दर्ज की गई थी। तत्पश्चात्, सतर्कता विभाग ने दिनांक 16-6-1999 और 11-10-1999 के पत्र-व्यवहार

द्वारा याचिकाकर्ता से उसकी संपत्तियों के बारे में पूछताछ की। तत्पश्चात्, दिनांक 17-1-2001 को (अनुलग्नक - पी/2) बी.एस.पी. के प्रबंध निदेशक द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध कुछ आरोप लगाते हुए एक आरोप-पत्र जारी किया गया और याचिकाकर्ता को आरोप-पत्र की प्राप्ति की तारीख से 10 दिनों की अवधि के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। अधिरोपित आरोप निम्नानुसार हैं:

> *'श्री अशोक आर्य, पी. क्रमांक 4399, वरिष्ठ प्रबंधक (भंडार), एम.एम. संगठन, ने दिनांक 12.04.1979 को स्नातक अभियंता के रूप में भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने अपने माता-पिता अर्थात् श्री त्रिलोक नाथ एवं श्रीमती जानकी देवी को अपना आश्रित घोषित किया और ब्लॉक वर्ष 92-93, 94-95, 96-97 एवं 98-99 के लिए उनके वास्ते एल.टी.सी. सुविधा का लाभ उठाया।*
>
> *यह पाया गया है कि श्रीमती जानकी देवी पत्नी श्री त्रिलोक नाथ (श्री अशोक आर्य की मां) दिनांक 11.12.91 से मकान एच.आई.जी.-I/82, जो कि बोरसी कॉलोनी, दुर्ग में स्थित है, की स्वामिनी हैं। श्रीमती जानकी देवी ने अपना घर एक श्री बंसल को उप-किराए पर दिया है*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

*और वे घर के बदले किराए के रूप में 1200/- रुपये प्रति माह स्वीकार कर रही हैं।*

*अपात्र सदस्यों को आश्रित घोषित करना और उनके लिए कंपनी की सुविधा का लाभ उठाना कंपनी के नियमों में कदाचार की श्रेणी के अंतर्गत आता है।*

*पूर्वोक्त कृत्य द्वारा, श्री अशोक आर्य, वरिष्ठ प्रबंधक (भंडार) ने सेल आचरण, अनुशासन एवं अपील नियम - 1977 के नियम 4(1)(i), 4(1)(iii) का उल्लंघन किया है और खंड 5(1) के तहत कदाचार किया है।"*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. दिनांक 22-1-2001 के पत्र (अनुलग्नक - पी/3) द्वारा याचिकाकर्ता ने उपरोक्त आरोप-पत्र का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय-वृद्धि का अनुरोध किया और कुछ दस्तावेज प्रदान करने की भी मांग की। जब बी.एस.पी. से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, तो याचिकाकर्ता ने दिनांक 31-1-2001 को अपना उत्तर (अनुलग्नक - पी/4) प्रस्तुत किया। जांच पूर्ण होने के पश्चात्, दिनांक 11-10-2008 के दंडादेश-पत्र (अनुलग्नक - पी/19) द्वारा याचिकाकर्ता के मूल वेतन को,इस आदेश के जारी होने की तिथि से, संचयी प्रभाव के साथ छह माह की अवधि के लिए वेतनमान रु. 18500-4%-23900 (ई5) में रु. 23,900 + 2868 (एस.आई.) प्रतिमाह से घटाकर रु. 23,900+1912 (एस.आई.) प्रतिमाह कर दिया गया। यह भी निर्देशित किया गया कि

याचिकाकर्ता के वेतन से ब्लॉक वर्ष 1996-97 और 1998-99 के एलटीसी/एलएलटीसी के झूठे दावे की वसूली की जाए। अतः, यह याचिका प्रस्तुत की गई है।

6. श्री आर्य, याचिकाकर्ता स्वयं, यह निवेदन करते हैं कि उनके विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही सेल के आचरण, अनुशासन एवं अपील नियम, 1977 (संक्षेप में "सी.डी.ए. नियम") के तहत निर्धारित प्रावधानों का पालन किए बिना अवैध एवं मनमाने ढंग से शुरू की गई है। याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए दस्तावेज उसे प्रदान नहीं किए गए हैं और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का भी पालन नहीं किया गया है। यहां तक कि शिकायत की प्रति भी याचिकाकर्ता को प्रदान नहीं की गई।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. श्री आर्य ने यह तर्क किया हैं कि उनकी मां द्वारा अपने घर से 1,200/- रुपये का किराया प्राप्त करने के संबंध में, किराए की रसीदें या किरायानामा बी.एस.पी. द्वारा बिलकुल भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। वास्तव में, उनकी मां को कोई किराया नहीं मिला है और उनके माता-पिता पूरी तरह से उन पर आश्रित हैं। उत्तरवादी क्रमांक 5/जांच अधिकारी ने जांच की कार्यवाही मनमाने ढंग से और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए की है। जांच अधिकारी ने सी.डी.ए. नियमों का उनके सही परिप्रेक्ष्य में पालन नहीं किया है। याचिकाकर्ता के विरुद्ध छद्मनामी शिकायत के आधार पर जांच की कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती।

8. श्री आर्य आगे यह निवेदन करते हैं कि उनके विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही लंबित होने के कारण, याचिकाकर्ता को ई-5 से ई-6 ग्रेड में

पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया गया, जबकि उनके कनिष्ठ अर्थात् उत्तरवादी क्रमांक 7 ने उन्हें अधिक्रमित कर दिया है। उत्तरवादी प्राधिकारियों की उक्त कार्यवाही के विरुद्ध, याचिकाकर्ता ने कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए थे, लेकिन उन पर विचार और विनिश्चय नहीं किया गया है।

9. इसके विपरित, डॉ. शुक्ला, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री दिलीप दुबे अधिवक्ता ने बी.एस.पी. उपस्थित होकर, यह तर्क किया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय जांच, बी.एस.पी. के सतर्कता विभाग द्वारा दिनांक 4-6-1999 को प्राप्त शिकायत के आधार पर प्रारंभ की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, भारत के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जो बी.एस.पी. द्वारा दिनांक 21-7-1999 को प्राप्त हुए थे, अन्वेषण से पूर्व शिकायत की प्रामाणिकता का सत्यापन किया जाना है। चूँकि प्रश्नगत शिकायत बी.एस.पी. को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के दिशा-निर्देशों की प्राप्ति से पहले प्राप्त हुई थी, इसलिए शिकायत के सत्यापन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। सम्यक् प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् और याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात्, याचिकाकर्ता के विरुद्ध जांच कार्यवाही प्रारंभ की गई थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. डॉ. शुक्ला ने यह भी तर्क किया कि याचिकाकर्ता ने अपने माता-पिता, अर्थात् श्रीमती जानकी देवी और श्री त्रिलोक नाथ, के लिए छुट्टी यात्रा रियायत (एल.टी.सी.) का लाभ उठाते समय यह मिथ्या घोषणा की है कि उसके माता-पिता की सभी स्रोतों से आय, बी.एस.पी. के छुट्टी यात्रा रियायत नियम, 1982 (संक्षेप में "एल.टी.सी. नियम") के अनुसार 250/- रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं है। याचिकाकर्ता ने ब्लॉक वर्ष 1992-93, 1994-95, 1996-97 और 1998-99 में गृह नगर (हि.प्र.) में योल कैंप के लिए अपने

आश्रित माता-पिता के लिए एल.टी.सी. का लाभ इस तथ्य को जानते हुए उठाया है कि उसकी माँ मकान क्रमांक एच.आई.जी.-I/82, जो कि बोरसी कॉलोनी, दुर्ग में स्थित है, की दिनांक 11-12-1991 से स्वामिनी है और एक श्री बंसल से 1,200/- रुपये प्रतिमाह किराया प्राप्त कर रही हैं, जिसे दिनांक 3-4-2000 के पत्र (अनुलग्नक - पी/5बी) से देखा जा सकता है, जो म.प्र. गृह निर्माण मंडल, उप संभाग - I (बोरसी), दुर्ग (संक्षेप में "एम.पी.एच.बी.") द्वारा जारी किया गया है। याचिकाकर्ता बी.एस.पी. में एक जिम्मेदार अधिकारी है और उसे अपने अपात्र माता-पिता के एल.टी.सी. का दावा नहीं करना चाहिए था, जो उस पर आश्रित नहीं हैं, क्योंकि उनकी आय 250/- रुपये प्रतिमाह से अधिक है। किरायानामा या किराए की रसीदें मकान की स्वामिनी अर्थात् याचिकाकर्ता की माँ की अभिरक्षा में हैं, अतएव, उसे बी.एस.पी. द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. डॉ. शुक्ला ने यह भी तर्क किया कि पदोन्नति के मामले पर निगम कार्यालय (कॉर्पोरेट ऑफिस) द्वारा विचार किया जाना है, क्योंकि याचिकाकर्ता ई-5 ग्रेड पर है। ई-5 से ई-6 ग्रेड में पदोन्नति का मामला निगम कार्यालय द्वारा पदोन्नतियों को शासित करने वाली नीति के अनुसार कार्यवाही किया है और यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून से प्रभावी होती है। ई-5 ग्रेड के कार्यपालक, अपने ग्रेड में चार वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर, ई-6 ग्रेड में पदोन्नति के लिए विचारित किए जाते हैं। याचिकाकर्ता ने दिनांक 31-12-1994 को ई-5 ग्रेड में प्रवेश किया था और दिनांक 30-6-1999 को ई-6 ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र हो गया था। विभागीय पदोन्नति समिति (संक्षेप में "डी.पी.सी.") निम्नलिखित कारकों अर्थात् कार्य-निष्पादन, अर्हता और ए.सी.पी. + सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए ई-6 ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र अभ्यर्थियों

के मामले की अनुशंसा करती है। याचिकाकर्ता के मामले पर जून, 1999 और जून, 2000 में ई-6 ग्रेड में पदोन्नति के लिए विचार किया गया था, लेकिन डी.पी.सी. द्वारा पदोन्नति के लिए उसकी अनुशंसा नहीं की गई थी। याचिकाकर्ता द्वारा पदोन्नति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन पहले ही निगम कार्यालय को अग्रेषित कर दिए गए हैं। निगम कार्यालय ने सूचित किया कि याचिकाकर्ता के मामले की, सेवा प्रबंधक, जो ई-6 ग्रेड में पदोन्नति के लिए सी एंड ए हैं, द्वारा पुष्टि के लिए अनुशंसा नहीं की गई थी। याचिकाकर्ता को यह सूचित कर दिया गया है कि 'कार्य-निष्पादन, अर्हता और सेवा की अवधि जैसे कारकों पर विचार करने के पश्चात् विभागीय पदोन्नति समिति ने दिनांक 30-6-2000 से प्रभावी ई-6 ग्रेड में पदोन्नति के लिए आपके मामले की अनुशंसा नहीं की।'

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. मैंने याचिकाकर्ता को स्वयं, उत्तरवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना है, अभिवचनों और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

13. जहां तक आरोप पत्र को अभिखंडित करने की प्रार्थना का संबंध है, चूँकि आरोप पत्र जांच में परिणत हुआ है, जांच पूर्ण हो चुकी है और जांच के पश्चात् दंडादेश पारित किया जा चुका है, इसलिए इस मामले में, इस प्रक्रम पर, आरोप पत्र की गुणागुण पर परिक्षण करना और कोई आदेश पारित करना आवश्यक नहीं है।

14. यह विषय विनिश्चयों की एक श्रृंखला द्वारा सुस्थापित है कि सामान्यतः किसी आरोप पत्र या कारण बताओ सूचना के विरुद्ध कोई रिट याचिका

प्रस्तुत नहीं होती है, क्योंकि कारण बताओ सूचना या आरोप पत्र किसी भी वाद हेतुक को जन्म नहीं देता, क्योंकि यह किसी भी पक्षकार के अधिकारों को प्रभावित करने वाला कोई प्रतिकूल आदेश नहीं है, जब तक कि यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जारी न किया गया हो जिसे ऐसा करने की अधिकारिता न हो। (देखें..**कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य आवास बोर्ड बनाम रमेश कुमार सिंह**[1], **विशेष निदेशक बनाम मोहम्मद गुलाम गौस**[2], **उलगप्पा बनाम संभागीय आयुक्त, मैसूर**[3], **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ब्रह्म दत्त शर्मा**[4] **और भारत संघ व अन्य बनाम कुनिसेट्टी सत्यनारायण**[5]।)

15. दस्तावेजों के परिशीलन पर, यह पाया गया है कि दिनांक 4-6-1999 की छद्मनामी शिकायत की प्राप्ति पर, जो सतर्कता विभाग द्वारा दिनांक 29-6-1999 के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सी.वी.सी.) के दिशा-निर्देशों की प्राप्ति से पूर्व प्राप्त हुई थी, उत्तरवादी प्राधिकारियों ने एक प्रारंभिक जांच प्रारंभ की और सर्वप्रथम दिनांक 16-6-1999 को याचिकाकर्ता से उसकी व्यक्तिगत संपत्तियों के बारे में पूछताछ की। तत्पश्चात्, श्री वी.के. वर्मा, सतर्कता निरीक्षक और म.प्र. गृह निर्माण मंडल के कर्मचारी ने मकान क्रमांक एच.आई.जी.-I/82, जो बोरसी, दुर्ग में स्थित है, का दौरा किया, जो याचिकाकर्ता की माँ अर्थात् श्रीमती जानकी देवी के स्वामित्व में पाया गया और वही मकान एक श्री बंसल को किराये पर दिया गया था। निरीक्षण के समय, श्री बंसल की पत्नी ने निरीक्षण दल को सूचित किया कि वे उक्त मकान में पिछले तीन वर्षों से रह रहे थे। प्राधिकारियों ने म.प्र. गृह निर्माण मंडल (एम.पी.एच.बी.) से, जिसने कॉलोनी का निर्माण किया था और व्यक्तियों को आवंटन किया था,

[1] (1996) 1 एस.सी.सी. 327
[2] (2004) 3 एस.सी.सी. 440
[3] (2001) 10 एस.सी.सी. 639
[4] (1987) 2 एस.सी.सी. 179
[5] (2006) 12 एस.सी.सी. 28

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मकान क्रमांक एच.आई.जी.-I/82 के बारे में और जानकारी मांगी। एम.पी.एच.बी. ने भी दिनांक 3-4-2000 और 11-4-2000 के पत्रों द्वारा सूचित किया कि मकान क्रमांक एच.आई.जी.-I/82 याचिकाकर्ता की माँ के नाम पर आवंटित किया गया था और एक श्री बंसल किराये के आधार पर निवास कर रहा था और 1,200/- रुपये प्रतिमाह की राशि का भुगतान कर रहा था।

16. पूर्वोक्त स्थिति के बावजूद, याचिकाकर्ता ने अपने माता-पिता की ओर से यह घोषणा करते हुए एल.टी.सी. का दावा किया कि उसके माता-पिता की आय 250/- रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं है और वे पूरी तरह से याचिकाकर्ता पर आश्रित हैं। याचिकाकर्ता का उक्त कृत्य सी.डी.ए. नियमों के विपरीत है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

17. आरोप-पत्र की प्राप्ति के पश्चात्, दिनांक 22-1-2001 के पत्र (अनुलग्नक - पी/3) द्वारा याचिकाकर्ता ने बी.एस.पी. के समक्ष निम्नलिखित तरीके से एक अनुरोध किया:

> *इस संदर्भ में निवेदन है कि मुझे मेरे दिनांक 11-10-1999 के कथन की प्रति (संदर्भ अनुलग्नक -III का क्रमांक 1) कृपया प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त मामले में अपना उत्तर तैयार करने के लिए आरोप-पत्र के अनुलग्नक-III के क्रमांक 2 एवं 3 पर उल्लिखित पत्रों की प्रतियां भी प्रदान की जाएं।"*

18. पूर्वोक्त पत्र के उत्तर में, बी.एस.पी. ने दिनांक 23-2-2001 के पत्र (अनुलग्नक - पी/5) द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए दस्तावेज प्रदान किए। उक्त पत्र में, याचिकाकर्ता ने दिनांक 4-6-1999 की शिकायत की प्रति प्रदान करने का कोई अनुरोध नहीं किया है, अतएव, याचिकाकर्ता यह अभिवचन नहीं कर सकता कि उसके उन्मत्त प्रयासों के बावजूद, दिनांक 4-6-1999 की शिकायत उसे प्रदान नहीं की गई थी।

19. जांच एक निष्पक्ष एवं पारदर्शी रीति से संचालित की गई है और अनेक अवसरों पर याचिकाकर्ता जांच प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ और अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया। जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने अभियोजन और बचाव पक्ष के कई साक्षियों का परीक्षण किया। जांच रिपोर्ट से यह प्रकट होता है कि याचिकाकर्ता कई बार सूचना जारी किए जाने के बावजूद जांच कार्यवाही को विलंबित करने के लिए उससे अनुपस्थित रहता था, इसलिए, अंतिम जांच कार्यवाही एकपक्षीय रूप से समाप्त की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत **कुलदीप सिंह बनाम पुलिस आयुक्त एवं अन्य**[6] के निर्णय में, उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि "सामान्यतः उच्च न्यायालय और यह न्यायालय घरेलू जांच में अभिलिखित तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किंतु यदि 'दोषिता' का निष्कर्ष किसी भी साक्ष्य पर आधारित नहीं है, तो यह एक विकृत निष्कर्ष होगा और यह न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा।"

[6] (1999) 2 एस.सी.सी. 10

21. याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत, **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम शत्रुघ्न लाल एवं अन्य**[7] में दिए गए उच्चतम न्यायालय का निर्णय, विचाराधीन मामले के तथ्यों से सुसंगत नहीं है, क्योंकि उक्त मामले में निष्कर्ष दोषी कर्मचारी की अनुपस्थिति में अभिलिखित किया गया था, जबकि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने जांच कार्यवाही में भाग लिया है।

22. याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत अन्य निर्णय भी विचाराधीन मामले के तथ्यों से सुसंगत नहीं हैं, क्योंकि दिनांक 17-1-2001 के आरोप-पत्र के अनुसरण में साक्ष्य के मूल्यांकन पर उचित जांच की गई थी, जो न तो विकृत है और न ही साक्ष्य रहित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. उच्चतम न्यायालय ने **अपेरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाम ए.के. चोपड़ा**[8] में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

> *'**16.....** एक बार जब साक्ष्य के मूल्यांकन पर आधारित तथ्य के निष्कर्ष अभिलिखित कर दिए जाते है, तो रिट अधिकारिता में उच्च न्यायालय सामान्यतः उन निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जब तक कि उक्त निष्कर्ष किसी भी साक्ष्य पर आधारित न पाए जाएं या विकृत न हों अथवा साक्ष्य की अपर्याप्तता ऐसी हो जो किसी तर्कसंगत व्यक्ति को उस निष्कर्ष पर पहुंचने के*

---
[7] (1998) एस.सी.सी. 651
[8] (1999) 1 एस.सी.सी. 759

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लिए प्रेरित न कर सके। उच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति में अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्षों पर एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं करता है और जब तक अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित तथ्य के निष्कर्ष कुछ साक्ष्य पर आधारित होते है, तब तक उच्च न्यायालय साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं करेगा और अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित दोषिता के निष्कर्षों के स्थान पर अपने स्वयं के निष्कर्षों को प्रतिस्थापित नहीं करेगा। जहाँ तक शास्ति का संबंध है, हमारी यह राय है कि उच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति में सामान्यतः अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति में हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन यदि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति ऐसी है जो उच्च न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देती है, तो उच्च न्यायालय के लिए हस्तक्षेप करना और किसी अन्य दंड या शास्ति को प्रतिस्थापित करना

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

*उचित होगा... उच्च न्यायालय की युगलपीठ ने... शास्ति में हस्तक्षेप किया... न्यायिक पुनरीक्षण किसी विनिश्चय की अपील नहीं है, बल्कि उस रीति का पुनरीक्षण है जिसमें विनिश्चय किया गया था... यह उस विनिश्चय के गुणागुण के पुनरीक्षण से संबंधित नहीं है जिसके समर्थन में न्यायिक पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया गया है, बल्कि स्वयं निर्णय लेने की प्रक्रिया से है। यह स्मरण रखना चाहिए कि न्यायिक पुनरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए अभिप्रेत नहीं है कि प्रथम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के लिए कोई न्यायोचित कारण है... यह निर्णय लेने की प्रक्रिया की विधिपूर्णता तक सीमित है। मुख्य कांस्टेबल, नॉर्थ वेल्स पुलिस बनाम इवांस में लॉर्ड हेलशैम ने अभिनिर्धारित किया:*

*न्यायिक पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति को निष्पक्ष व्यवहार मिले, न कि यह सुनिश्चित करना कि प्राधिकारी, निष्पक्ष व्यवहार प्रदान करने के बाद, एक ऐसे मामले पर*

*जिसे विधि द्वारा स्वयं विनिश्चित करने के लिए वह प्राधिकृत या आदिष्ट है, एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचे जो न्यायालय की दृष्टि में सही हो।'*

***17.** न्यायिक पुनरीक्षण, किसी विनिश्चय से अपील न होकर, बल्कि उस मामले का पुनरीक्षण है जिसमें विनिश्चय पर पहुंचा गया था, न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करते समय न्यायालय को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि यदि प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा विधि और नियमों द्वारा स्थापित सिद्धांतों का पालन करने के बाद और संबंधित व्यक्ति को उसके विरुद्ध मामले का सामना करने का सम्यक् अवसर देने के बाद विनिश्चय पर पहुंचा गया है, तो न्यायालय प्रशासनिक प्राधिकारी के विनिश्चय पर अपील न्यायालय के रूप में नहीं बैठ सकता है...।"*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. उच्चतम न्यायालय ने **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जयकरन सिंह**[9] में, अभिनिर्धारित किया कि "सामान्यतः, अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय केवल दंड की मात्रा में हस्तक्षेप नहीं करता है यदि दोषी के विरुद्ध आरोप सिद्ध हो जाते हैं और विभागीय कार्यवाही में

[9] (2003) 9 एस.सी.सी. 228

अपनाई गई प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है। लेकिन कभी-कभी, यदि न्यायालय को लगता है कि अधिरोपित दंड घोर अन्यायपूर्ण है और अंतरात्मा को झकझोरता है तो उचित मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है।"

25. **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम रमेश दिनकर पुंडे**[10] में, उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

> *'**6.** इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम इस प्रक्रम पर यह अभिनिर्धारित कर सकते हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्च न्यायालय ने एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य किया है, इस न्यायालय द्वारा लिए गए सुसंगत दृष्टिकोण के बावजूद कि उच्च न्यायालय और अधिकरण न्यायिक पुनरीक्षण का प्रयोग करते हुए एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं करते हैं।*
>
> *इसकी अधिकारिता परिसीमित है और विधि की त्रुटियों या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि, जिसके परिणामस्वरूप प्रकट रूप से न्याय की हानि हुई हो या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ हो, को सुधारने तक सीमित है। न्यायिक पुनरीक्षण मामले के गुणागुण पर न्यायनिर्णयन और एक अपीलीय*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---
[10] (2006) 7 एस.सी.सी. 212

*प्राधिकारी के रूप में साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने के समान नहीं है। (देखें आंध्र प्रदेश सरकार बनाम मोहम्मद नसरुल्लाह खान, एस.सी.सी. पृष्ठ 379, कण्डिका 11)'*

***9.*** *उच्च न्यायालय के लिए उस साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करना अनुज्ञेय नहीं है, जिस पर जांच अधिकारी, एक अनुशासनात्मक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया था। तथ्यों पर उच्च न्यायालय का निष्कर्ष अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के सर्वथा विपरीत है।*

***13.*** *इसलिए, हम स्पष्ट रूप से इस मत के हैं कि उच्च न्यायालय ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिए गए तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करके तथा अपील न्यायालय के रूप में कार्य करते हुए और साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करके विधि और तथ्यां, दोनों में त्रुटि की है।"*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. जहां तक याचिकाकर्ता की, ई-5 से ई-6 ग्रेड में पदोन्नति के लिए उसके मामले पर विचार करने का निर्देश देने की प्रार्थना का संबंध है, इस

विषय की परीक्षा करने के लिए पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है, यद्यपि यह शपथ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि याचिकाकर्ता के मामले पर निगम कार्यालय द्वारा विचार किया गया था और विचार करने पर उन्होंने पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता को उपयुक्त नहीं पाया। चूंकि सभी सामग्रियां इस न्यायालय के समक्ष अभिलेख पर नहीं लाई गई हैं, याचिकाकर्ता पदोन्नति प्रदान करने के लिए अपने मामले पर विचार हेतु एक अभ्यावेदन करने के लिए स्वतंत्र है और उत्तरवादी प्राधिकारी विधि के अनुसार और उसके अपने गुणागुण पर उस पर विचार और विनिश्चय कर सकते हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

27. विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए और पूर्वोक्त वर्णित कारणों से, याचिकाकर्ता किसी भी अनुतोष का हकदार नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता के विरुद्ध बी.एस.पी. द्वारा एक निष्पक्ष एवं पारदर्शी रीति से और याचिकाकर्ता को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करने के पश्चात् कार्यवाही की गई है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

28. परिणामस्वरूप, रिट याचिका असफल होती है और एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

29. व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

**सही/-**

**सतीश के. अग्निहोत्री**

**न्यायाधीश**

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

**Translated By Bhumesh Bharti**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur